



आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी तारीख के साथ
22/09/2012	<p style="text-align: center;">सारण समाहरणालय, छपरा।  न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।  अपील सं० 26/2012  गीता कुमारी बनाम जिला प्रोग्राम पदाधिकारी  आदेश</p> <hr/> <p>इस मामले की सुनवाई अपीलकर्ता तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी की उपस्थिति में की गयी। अपीलकर्ता ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक 690 दिनांक 28/5/2012 को चुनौती देते हुए कहा कि प्रश्नगत आदेश इस दृष्टिकोण से अवैधानिक है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा उसके चिकित्सा प्रमाण पत्र और निरीक्षण तिथि की अगली तिथि को पोषाहार वितरण की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया है।</p> <p>दोनों पक्षों को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता का बचाव अन्तर्विरोध पर आधारित है। एक तरफ वह दिनांक 16/4/2012 (निरीक्षण तिथि) को केन्द्र खोलकर पोषाहार बाँटने की बात स्वीकार करती है, तो दूसरी ओर उसी दिन बीमारी होने का भी प्रमाण देती है। पुनः अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 17/4/2012 को ही शेष टी0एच0आर0 वितरण का दावा किया जाता है, जबकि चिकित्सा प्रमाण पत्र के अनुसार वह 17/4/2012 तक चिकित्सा में है। स्पष्ट है कि प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार के वैधानिक दोष नहीं है और उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपील खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">चेखापित एवं संशोधित    जिला दंडाधिकारी,  सारण, छपरा।</p> <p style="text-align: center;">  जिला दंडाधिकारी,  सारण, छपरा।</p>	